महत्वपूर्ण

संख्या-14/2023/368/58-1-2023-54/2010/11/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ :: दिनांक 16 फरवरी, 2023**

विषयः- आँगनवाड़ी केन्द्रों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, अतिकुपोषित बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं को समन्वित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा सन्दर्भन सेवायें प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार के पत्र संख्या-11/4/2021-सी0डी0-। (ई-95706), दिनांक 01 अगस्त, 2022 द्वारा निर्गत मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 की गाईडलाइन के तहत आँगनवाड़ी केन्द्रों की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाना है, जिससे लाभार्थियों को अनुकूल वातावरण प्रदान कर उन्हें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से प्रभावी ढंग से लाभान्वित किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रारम्भिक बाल्यावस्था-देखभाल और शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) की सार्वभौमिक पहुँच के लिये ऑगनवाड़ी केन्द्रों को अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे के साथ सशक्त बनाये जाने की नीति का निर्धारण किया गया है।

2. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के शासनादेश संख्या-1970(2)/58-1-2022-2/13(27)04, दिनांक 02 अगस्त, 2022 द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में असंतृप्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को कायाकल्प के माध्यम से सुदृढ़ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु वृहद रूप से एवं तीव्र गति से एक निश्चित रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तत्क्रम में आँगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण के संबंध में प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल-मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप एवं राष्ट्रीय मानदण्डों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा मानक के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जाना है:-

क्र.सं.	संकेतक	क्र.सं.	संकेतक
1.	सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा।	2.	ओवरहैड टैंक के साथ नल-जल व्यवस्था।
3.	सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में नल-जल आपूर्ति।	4.	क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय।
5.	क्रियाशील महिला शौचालय (सामुदायिक गतिविधियों-वजन दिवस, अन्नप्राशन दिवस, गोदभराई, सुपोषण दिवस, ग्राम्य स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वी0एच0एस0एन0डी0) में आने वाली महिला लाभार्थियों तथा बच्चों की माताओं हेतु।	6.	क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय।
7.	शौचालयों एवं मूत्रालयों में टाइलीकरण।	8.	क्रियाशील मल्टीपल हैण्डवाशिंग यूनिट (प्रति 10 से 12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुडी एक टोंटी)
9.	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन की फर्श का टाइलीकरण।	10.	दिव्यांग मैत्रिक शौचालय।
11.	कक्षा-कक्ष में उचित ऊँचाई के साथ ब्लैक-बोर्ड/ग्रीन बोर्ड।	12.	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन में रंगाई-पुताई एवं बाला चित्रकारी।
13.	दिव्यांग लाभार्थियों हेतु रेलिंगयुक्त रैंप।	14.	विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति (बाह्य विद्युतीकरण)।
15.	सुरक्षित विद्युत वायरिंग के साथ लाइट व पंखे (आन्तरिक विद्युतीकरण)।	16.	फर्नीचर (लो लाईंग डेस्क और बेन्च) बच्चों के पठन-पाठन हेतु उनकी उम्र के अनुसार)।
17.	गेट के साथ बाउण्ड्रीवाल (नॉन को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु)।	18.	रसोईघर में सिंक के साथ नल-जल व्यवस्था।

3- सरकारी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं/अवस्थापना सुविधाओं के सुचारु क्रियान्वयन/सुधार एवं संतृप्तीकरण के उद्देश्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

से समय-समय पर विभिन्न शासनादेश एवं दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कराने हेतु उद्दीपक वित्त पोषण व्यवस्था अनुलग्नक-1 में उल्लिखित की गयी है।

4. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-**

उक्त समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के साथ-साथ गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध संतृप्तीकरण हेतु प्रगति का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना अत्यन्त आवश्यक है। आँगनवाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना का निर्धारण विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक है। इसके लिये आँगनवाड़ी कार्यकत्री उक्त वर्णित इण्डिकेटर्स के अनुसार मॉग-पत्र प्रारूप-1 (अनुलग्नक-2) में तैयार करेगी। मुख्य सेविका प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त प्रारूप-1 बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्राप्त करायेंगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रत्येक माह की प्रगति प्रारूप-2 (अनुलग्नक-2) पर अद्यतन करेंगे तथा संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर की सूचना प्रारूप-3 (अनुलग्नक-2) पर तैयार करेंगे तथा उक्त सूचना को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित डी0एन0सी0 की मासिक बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं एक प्रति निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को प्रेषित करेंगे।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संलग्न प्रारूप में अंकित 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में संतृप्तीकरण से तात्पर्य उनकी सुचारु क्रियाशीलता से ही है। मात्र सुविधा की उपलब्धता को क्रियाशीलता नहीं माना जायेगा।

5- अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अपने कुशल निर्देशन में उक्तानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-14/2023/368(1)/58-1-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–1

प्रचलित वित्त पोषण व्यवस्था :–

क्र0सं0	इण्डिकेटर	वित्त पोषण व्यवस्था
1	**सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल**	• जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान • 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2731/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा
2	**ओवरहैड टैंक के साथ नल–जल व्यवस्था**	• 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • जिला खनिज निधि
3	**शौचालयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति**	
4	**क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय**	• मनरेगा • 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1052/33–3–2018 /68 /2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2731/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
5	**क्रियाशील महिला शौचालय**	• मनरेगा • 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
6	**क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय**	• मनरेगा • 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4489/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि

7	शौचालयों एवं मूत्रालयों में टाइलीकरण	• 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1052/33–3–2018 /68 /2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2731/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
8	मल्टीपल हैण्डवाशिंग यूनिट	• 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4489/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
9	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की फर्श का टाइलीकरण	• 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1052/33–3–2018 /68 /2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2731/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
10	दिव्यांग मैत्रिक शौचालय	• राज्य वित्त/ग्राम निधि/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
11	कक्षा–कक्ष में ब्लैक–बोर्ड/ग्रीन बोर्ड	
12	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन में रंगाई–पुताई एवं बाला चित्रकारी	• राज्य वित्त/15वे वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1052/33–3–2018 /68 /2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
13	रेलिंग युक्त रैंप	• राज्य वित्त/15वे वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड

		• जिला खनिज निधि
14	**विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति (वाह्य विद्युतीकरण)**	• विद्युत कनेक्शन विभाग द्वारा तथा बिल भुगतान ग्राम निधि से • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2731/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
15	**विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंख**	• राज्य वित्त/15वे वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2731/60–2–19–2/13(27)04, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि
16	**फर्नीचर (लो लाईंग डैस्क और बेन्च)**	• राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1052/33–3–2018 /68 /2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा • जिला खनिज निधि
17	**गेट के साथ बाउण्ड्रीवाल**	• राज्य वित्त/15वे वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • मनरेगा • जिला खनिज निधि
18	**रसोईघर में सिंक के साथ नल–जल**	• राज्य वित्त/15वे वित्त आयोग/ग्राम निधि/निकाय निधि/निगम निधि/स्मार्ट सिटी फण्ड/अरबन लोकल बॉडी फण्ड • पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा • जिला खनिज निधि

अनुलग्नक–2

अनुश्रवण हेतु प्रारूप–1

(आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा मुख्य सेविका हेतु)

आंगनबाड़ी कार्यकत्री का नाम– केन्द्र का नाम– केन्द्र का कोड–

जनपद का नाम ब्लाक– मुख्य सेविका के नाम :–

क्र0सं0	संकेतक	संतृप्त/असंतृप्त	यदि असंतृप्त है			
			तो क्या ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर निकाय द्वारा या अन्य किसी योजना के माध्यम से संतृप्त किये जाने हेतु केन्द्र का चयन किया गया है।	क्या कार्य गतिमान है।	क्या इस माह में कार्य पूर्ण हो जाएगा।	क्या अगले माह किसी कार्ययोजना में संतृप्त किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल					
2	शौचलयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति					
3	शौचलयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति					
4	क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय					
5	क्रियाशील महिला शौचालय					
6	क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय					
7	शौचालयों एवं मूत्रालयों में टाइलीकरण					
8	मल्टीपल हैण्डवाशिंग यूनिट					
9	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की फर्श का टाइलीकरण					
10	दिव्यांग मैत्रिक शौचालय					
11	कक्षा–कक्ष में ब्लैक–बोर्ड/ग्रीन बोर्ड					
12	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन में रंगाई–पुताई एवं बाला चित्रकारी					
13	रेलिंग युक्त रैंप					
14	विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति (वाह्य विद्युतीकरण)					
15	विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंख					
16	फर्नीचर (लो लाईंग डैस्क और बेन्च)					
17	गेट के साथ बाउण्ड्रीवाल					
18	रसोईघर में सिंक के साथ नल–जल					

आंगनबाड़ी कार्यकत्री का हस्ताक्षर

मुख्य सेविका का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–2

अनुश्रवण हेतु प्रारूप–2

(बाल विकास परियोजना अधिकारी हेतु)

जनपद का नामः–

बाल विकास परियोजना अधिकारी का नामः–

परियोजना का नाम :–

कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्याः–

क्र0सं0	संकेतक	गत् माह तक असंतृप्त केन्द्रों की संख्या	माह में संतृप्त किये जाने हेतु लक्ष्य	माह में संतृप्त किये गये केन्द्रों की संख्या	माह में की गयी प्रगति का प्रतिशत् (कॉलम 5/4)	माह के अन्त में असंतृप्त केन्द्रों की संख्या (3–5)	अगले माह में संतृप्त किये जाने हेतु लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल						
2	शौचलयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति						
3	शौचलयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति						
4	क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय						
5	क्रियाशील महिला शौचालय						
6	क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय						
7	शौचालयों एवं मूत्रालयों में टाइलीकरण						
8	मल्टीपल हैण्डवाशिंग यूनिट						
9	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की फर्श का टाइलीकरण						
10	दिव्यांग मैत्रिक शौचालय						
11	कक्षा–कक्ष में ब्लैक–बोर्ड/ग्रीन बोर्ड						
12	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन में रंगाई–पुताई एवं बाला चित्रकारी						
13	रेलिंग युक्त रैंप						
14	विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति (वाह्य विद्युतीकरण)						
15	विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंख						
16	फर्नीचर (लो लाईंग डैस्क और बेन्च)						
17	गेट के साथ बाउण्ड्रीवाल						
18	रसोईघर में सिंक के साथ नल–जल						

बाल विकास परियोजना अधिकारी

जनपद–

अनुलग्नक–2

अनुश्रवण हेतु प्रारूप–3

(जिला कार्यक्रम अधिकारी हेतु)

जनपद का नाम
जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम
कुल संचालित आगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या

क्र0 सं0	संकेतक	गत् माह तक असंतृप्त केन्द्रों की संख्या	माह में संतृप्त किये जाने हेतु लक्ष्य	माह में संतृप्त किये गये केन्द्रों की संख्या	माह में की गयी प्रगति का प्रतिशत् (कॉलम 5/4)	माह के अन्त में असंतृप्त केन्द्रों की संख्या (3–5)	अगले माह में संतृप्त किये जाने हेतु लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल						
2	शौचलयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति						
3	शौचलयों एवं मूत्रालयों में नल–जल आपूर्ति						
4	क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय						
5	क्रियाशील महिला शौचालय						
6	क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय						
7	शौचालयों एवं मूत्रालयों में टाइलीकरण						
8	मल्टीपल हैण्डवाशिंग यूनिट						
9	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की फर्श का टाइलीकरण						
10	दिव्यांग मैत्रिक शौचालय						
11	कक्षा–कक्ष में ब्लैक–बोर्ड/ग्रीन बोर्ड						
12	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन में रंगाई–पुताई एवं बाला चित्रकारी						
13	रेलिंग युक्त रैंप						
14	विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति (वाह्य विद्युतीकरण)						
15	विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंख						
16	फर्नीचर (लो लाईंग डैस्क और बेन्च)						
17	गेट के साथ बाउण्ड्रीवाल						
18	रसोईघर में सिंक के साथ नल–जल						

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद–